

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1674 /2021 दिनांक : 28 .07.2021

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.11(3) न्याय/2002, दिनांक 08.09.2005 सपटित राजकीय सेवा नियम 1951 के नियम 91-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक 01.04.2000 से दो वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 30 दिवस के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है । अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है । जिसकी प्रविष्टि सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है ।

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या	ब्लॉक वर्ष	समर्पित अवकाश की दिनांक
1.	श्री अविनाश चौधरी (RJ0534), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, तिजारा (अलवर)।	30	2020-2022	01.07.2021

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)


क्रमांक:—स्था.बी.2(4) 50/2005/4701

दिनांक 28.07.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर ।
3. श्री अविनाश चौधरी (RJ0534), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, तिजारा (अलवर)।


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)


27.7.21